फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री लवेश रावल
निवासी मकान नं. 35 हिल व्यू
कॉलोनी, गणका मानपुर हवाई
पट्टी रोड, आबूरोड जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास, आबू

किरम मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 45 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.04.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हिल व्यू कॉलोनी ग्राम गणका मानपुर आबूरोड का सम्पूर्ण कॉलोनी अनुमोदन आदेश मय समस्त संलग्न नक्शों एवं खण्डों सहित की प्रमाणित प्रति एवं यू.आई.टी.–डवलपर करारनामा, 12.5 प्रतिशत बंधक प्लॉटों की पूरी सूची, यू.आई.टी. द्वारा डवलपर को दिए गए समस्त नोटिस, यू.आई.टी. निरीक्षण प्रतिवेदन, पूर्णता एवं अधिवासन प्रमाण पत्र, RERA पंजीकरण की स्थिति, बंधक प्लॉट न भुनाने का लिखित कारण, शिकायतों पर की गई कार्यवाही, कॉलोनाइजर का पूरा विवरण, जुर्माना / दण्डात्मक कार्यवाही की स्थिति तथा भावी कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हिल व्यू कॉलोनी ग्राम गणका मानपुर आबूरोड का सम्पूर्ण कॉलोनी अनुमोदन आदेश मय समस्त संलग्न नक्शों एवं खण्डों सहित की प्रमाणित प्रति एवं यू.आई.टी. –डवलपर करारनामा, 12.5 प्रतिशत बंधक प्लॉटों की पूरी सूची, यू.आई.टी. द्वारा डवलपर को दिए गए समस्त नोटिस, यू.आई.टी. निरीक्षण प्रतिवेदन, पूर्णता एवं अधिवासन प्रमाण पत्र, RERA पंजीकरण की स्थिति, बंधक प्लॉट न भुनाने का लिखित कारण, शिकायतों पर की गई कार्यवाही, कॉलोनाइजर का पूरा विवरण, जुर्माना / दण्डात्मक कार्यवाही की स्थिति तथा भावी कार्ययोजना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / यूआईटी आबू / आर.टी.आई. / 2026 / 608 दिनांक 08.04.2026 के द्वारा अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी पावती रसीद पर भी अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर किए हुए है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू के स्तर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (रोहिताश्व सिंह तोमर) **जिला कलक्टर, सिरोही**	